उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः–4607–औसं–17/पाकालि/2023–11(01)ए0एस0/09 (2023–24) दिनांकः 19 अक्टूबर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः–2131–औसं–17/पाकालि/2023–11(9)ए0एस0/06 दिनांक 18.05.2023 द्वारा दिनांक 23.08.2023 तक मान्यता प्राप्त **शान्तिवेद इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एन0एच0–19, बाईपास रोड, आगरा** की मान्यता चिकित्सालय प्रबन्धन से प्राप्त समस्त वांछित अभिलेख एवं जिला पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनन्तिम प्रमाण–पत्र दिनांक 06.09.2023 जो एक वर्ष के लिए वैध है, के दृष्टिगत कारपोरेशन के आदेश सं0–4452–औस–17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवम् आदेश संख्या–3593–औस–17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03 तथा आदेश संख्या–3330–औसं/2018–11(28)ए0एस0/2004 दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित सी0जी0एच0एस0–2014 की मानक दरों के अधीन तदनुक्रम में दिनांक 24.08.2023 से दिनांक 30.04.2024 तक एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :–

1. उक्त चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
3. चिकित्सालय की मान्यता अन्तः रोगी के रूप में उपचार कराने के साथ–साथ वाह्य रोगी के रूप में गम्भीर रोगों हेतु लम्बी अवधि तक चलने वाली बीमारियों का उपचार कराने हेतु भी विस्तारित की जाती है। वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–2335–औ0सं0–17/पाकालि/2020 दिनांक 27.08.2020 द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।
4. उक्त चिकित्सालय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के साथ–साथ उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के कार्मिकों/पेन्शनरों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के उपचार हेतु भी अधिकृत होगा।
5. चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालय की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्याः–4607 (1) औसं–17/पाकालि/2023–तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 पावर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ/एस0एल0डी0सी0 लि0, विभूति खण्ड–2,गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

क्रमशः 2/–

Medical New Letter

4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्याँचल, लखनऊ/पूर्वान्चल/वाराणसी/पश्चिमाँचल/मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांस्को, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. महाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, 12वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
10. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप–मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवंन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org-Medical** पर अपलोड करने हेतु।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा)/मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. जिला पंजीकरण प्राधिकारी, आगरा उ0प्र0।
17. संयुक्त निदेशक, शान्तिवेद इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एन0एच0–19, बाईपास रोड, आगरा।
18. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
19. कट फाइल ।

भवदीय,

Pkumar 19/10/22

(प्रदीप कुमार)
उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)

Medical New Letter